न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 13/2022

सुरेन्द्र पुत्र नाथाराम, जाति जाट, निवासी नाटास, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, उदयपुरवाटी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी
प्रकरण संख्या 05/2022

उपस्थितिः–

1 श्री अरविन्द कुमार सैनी, एडवोकेट ––– –––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,राजकीय अधिवक्ता ––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 18.07.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.02.2022 को अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा पारित आदेश पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 11.02.2022 को अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौडजी के यहां एक प्रकरण संख्या 05/2022 दर्ज किया जाकर अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये। उक्त प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.02.2022 को एक आदेश पारित कर अपीलान्ट की कृषि भूमि में बोई गई फसल को कुर्क/नीलाम कर राशि बाद स्वीकृति राजकोष में जमा कराये जाने के आदेश पारित किये गये। जिसके बाद एक फर्द तैयार की गई। उक्त आलोच्य निर्णय बाबत अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर तथा कोई नोटिस सूचना नहीं दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.29 13:16:58 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

प्रकरण संख्या 05/2022 के विचाराधीन रहते हुए एकतरफा तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध आक्षेपित आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2022 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः— अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 11.02.2022 को अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौडजी के यहां एक प्रकरण संख्या 05/2022 दर्ज किया जाकर अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये। उक्त प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.02.2022 को एक आदेश पारित कर अपीलान्ट की कृषि भूमि में बोई गई फसल को कुर्क/नीलाम कर राशि बाद स्वीकृति राजकोष में जमा कराये जाने के आदेश पारित किये गये। जिसके बाद एक फर्द तैयार की गई। उपरोक्त आलौच्य निर्णय बाबत अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर तथा कोई नोटिस सूचना नही दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 05/2022 के विचाराधीन रहते हुए एकतरफा तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध आक्षेपित आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2022 को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजस्व ग्राम नाटास में खसरा नम्बर 125 कुल रकबा 4.50 हैक्टर गैर मुमकिन बजड़—2 राजकीय भूमि पर फसल की बुआई कर अतिक्रमण किया गया है। जिसमें अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.29 13:16:58 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी नाटास की रिपोर्ट में अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नंबर 125 गै.मु. बजंड़–2 में अपीलार्थी के फसल बुआई कर पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की गई है। जिससे विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा वैध साबित होता हो। ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमि राजकीय भूमि है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा की गई कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2022 यथावत जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.29 13:16:58 IST
Reason: SelfAttested